

श्रम ही आराधना

भारतीय मज़दूर संघ



विधान

भारतीय मज़दूर संघ



विधान

विषय-सूची

१. नाम	१
२. अधिकार क्षेत्र	१
३. केंद्रीय कार्यालय	१
४. लक्ष्य और उद्देश्य	१
५. साधन	४
६. सम्बद्धता	४
७. सम्बद्धता शुल्क व अन्य देय राशियां	६
८. संघ के घटक	७
९. यूनियन और औद्योगिक संघ	७
१०. भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक इकाइयां और राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघ	७
११. प्रतिनिधि सभा	८
१२. कार्य समिति	९
१३. स्थाई समिति	९
१४. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	९
१५. निधियां	१३
१६. विवाद	१३
१७. निलम्बन तथा निष्कासन	१४
१८. अनुशासनात्मक कार्यवाही	१४
१९. स्थगित बैठकें	१४
२०. संशोधन	१४

BHARATIYA MAZDOOR SANGH

Amendments to the Constitution of:

Preamble

In view of the expansion of BMS work and need to have still better organisational set up and also the need to bring higher degree of discipline in the organisation the Constitution of the BMS requires some alterations by way of additions and deletions. Hence the following amendments are proposed.

It is proposed to empower the Kendriya Karya Samiti to frame Rules and hence some of the provisions/articles in the present Constitution are deleted for being incorporated in the Rules;

Certain articles are proposed to be transposed in some other articles; and certain clauses are being recast and then renumbered;

A major amendment is regarding the increase in the number of Vice/Presidents and also the number of All India Secretaries;

Another such amendments are regarding the 'Standing Committee', AND

Rights and Privileges of affiliates.

PROPOSED AMENDMENTS TO BMS CONSTITUTION

- (I) **Article 6**, sub-clause (a): In line 2, *substitute* the word 'eligible' for the word 'entitled'; In sub-clause (a) item (i) *add*: "and rules and regulations framed thereunder from time to time", 'after the words Sangh';

Substitute item (iv) of subclause (a) as follows: "(iv) The Union/Federation shall apply for affiliation as per rules;"

Delete the present subclauses (b) (c) (d) (e) (f) & (g)
Add the following new subclauses:

(b) : The Union/Federation shall be disaffiliated for any breach of constitution and rules of the Sangh and for any acts or omissions prejudicial to the interest of the Sangh;

Provided such Union/Federation may be reaffiliated on such terms and conditions as may be laid down

(ii)

by the Karya Samiti on appeal as per rules;

(c): insert subclause (h) in place of (c).

(II). *Delete* the present Article 7 and substitute it by the following new Article 7:—Rights and Privileges of the Affiliated Union/Federation:

(i) To elect representatives to the All India Pratinidhi Sabha and Pradesh Samiti as per Constitution;

(ii) To use the Flag & Symbol of the Sangh;

(iv) To represent BMS in various local, State level or National level Committees/Bodies/Boards constituted by the appropriate Govts;

(v) To get assistance, monetary and otherwise, from the BMS in resolving industrial disputes such as legal advice/nominating representatives for negotiations etc.;

(vi) To represent the BMS in Seminars/Study Classes/Study Tours/Conferences, in India and abroad;

(vii) To raise funds during agitations/ strikes etc. with prior permission of the respective Unit of the BMS;

7(a): The Union/Federation losing its affiliation shall forfeit all rights and privileges of affiliation.

(III). *Delete* Article 9, and subclause (f) of Article 10.

(iv) And *Renumber* Article 10 as Article 9; *Renumber* Article II as Article 10;

In Article 10 (old ii) *substitute* the following words for "Pratinidhi Sabha.....body" by "*The Pratinidhi Sabha* shall consist of delegates elected by the affiliated unions/Federations as per sub-clause (a) of Article 10. The Pratinidhi Sabha shall be the Supreme body of the Sangh."

(v) *Renumber* present Article 12 as Article II—*Add* "Its Powers and Duties", after the words Karya-Samiti'. *Add* the following Proviso to Article II (a) ii, as follows: Provided that a newly elected General Secretary of the Pradesh BMS/All India Industrial Federation shall be ex-officio member of the Kendriya Karya Samiti. His predecessor in office may however, in the discretion of the All India General Secretary of the BMS, be invited to attend the meetings

of the K. Karya Samiti, for such period as he may decide.

Article 12, (a) (iii) Add the following after the words BMS: " to be specified by the All India General Secretary from time to time."—Add the following items in old Article 12 in subclause (b):

(x) The Karya Samiti shall accord sanction to the applications forwarded for affiliation to it by the Unions/Federations as per rules;

(xi) The Karya Samiti shall have power to reject any application for affiliation for reasons to be recorded. The aggrieved Union may appeal against such decision to the Pratinidhi Sabha.

(xii) Here insert subclause (d) of Article 6.

(xiii) Here insert subclause (f) Article 10.

(VI) Add the words "*Its Powers and Duties*" after the words 'Standing Committee'.

Substitute the following present Article 13, as under:

The Standing Committee shall comprise of the All India President, the General Secretary, All India Secretaries, the All India organising Secretary and the Finance Secretary. It shall meet as often as necessary and shall guide the Karya Samiti in the matters of National Policies, suggest ways and means to effectively implement the decisions of the Sangh. It shall decide such matters appeals and issues referred to it for decision by the Karya Samiti. The decision of the Karya Samiti shall be however final.

(VII) In new Article 10 (old 11) subclause (b) *delete* the sentence beginning *The Karya Samiti.....necessary.*" In subclause (c) of Article (11) new article 10, in line 4 delete the words '*the immediate preceding two years*' and in place of the words two year substitute the words 'term'; In line 5 for the words two years substitute word 'term', and delete the word "*following*" in the last line.

In Article 10 (old no. 11), subclause (d) (2) substitute "six", for "four";

And in (4) substitute 'eight' for four.

(VIII) Add the following sentence after para ending with

(iv)

the words 'the General Secretary in Article 14.

The General Secretary.

"The General Secretary may invite specific individuals to attend the Karya Samiti, as and when necessary."

(IX) Add the following new Article as Article 21:

21. Power to make Rules:

The Karya Samiti shall have power to make rules on the following matters:

- (i) Affiliation of Unions/Federations;
- (ii) Affiliation fees and mode of recovery;
- (iii) Submission of accounts of the constituents of the Sangh;
- (iv) Regulation of Funds of Sangh, including those raised through Souvenirs, purses etc.;
- (v) Movable and immovable property of the Sangh and its affiliates;
- (vi) Election to various bodies of the Sangh;
- (vii) Appeals;
- (viii) Appointment of employees and their wages and service conditions;
- (ix) Financial Assistance to Constituents & its members activists etc. by way of monetary assistance, medical aid, subsistence allowance etc.
- (x) Forms for applications and records etc.

भारतीय मजदूर संघ

का

विधान

१ नाम

संगठन का नाम भारतीय मजदूर संघ होगा और आगे 'संघ' या भा० म० सं० का प्रयोग होगा।

२ अधिकार क्षेत्र

'संघ' का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत के सभी राज्यों तक विस्तृत होगा।

३ केन्द्रीय कार्यालय

'संघ' का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में अथवा किसी ऐसे अन्य स्थान पर होगा जिसके बारे में कार्यसमिति निश्चय करेगी।

४ लक्ष्य और उद्देश्य

(१) लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार होंगे :—अंततोगत्वा भारतीय समाज रचना की स्थापना करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों की भी सुरक्षा होगी :

(क) पूर्ण रोजगार तथा अधिकतम उत्पादन हेतु जनशक्ति तथा साधनों का पूर्ण उपयोग।

(ख) लाभ की वृत्ति को हटाकर सेवावृत्ति को स्थान देना तथा आर्थिक

जनतन्त्र की स्थापना जिसके परिणाम स्वरूप समस्त सम्पदा का एक ऐसा समान वितरण हो जो व्यक्ति और समग्र राष्ट्र के हित में हो।

(ग) राष्ट्र के अविच्छिन्न अंग के रूप में स्वायत्तशासी औद्योगिक समुदायों का विकास करना, जिसकी परिणति उद्योगों के श्रमिकीकरण में हो।

(घ) राष्ट्र के अधिकतम औद्योगीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-निर्वाह योग्य काम देने की व्यवस्था करना।

(२) अंततः उपर्युक्त उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का सामर्थ्य पैदा करना और साथ-साथ श्रमिकों को सामाजिक हितों से संगति रखते हुये अपने हितों की सुरक्षा तथा समुन्नति के लिए योगदान योग्य सशक्त बनाना :

(क) धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक सम्बन्धों को परे रख कर मातृ-भूमि की सेवा के माध्यम के रूप में श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों (मजदूर संघों) में संगठित होने हेतु सहायता करना।

(ख) सम्बद्ध यूनियनों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन, निर्देशन तथा निरीक्षण और समन्वय करना।

(ग) सम्बद्ध यूनियनों को भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक समितियों तथा औद्योगिक संघों के रूप में संगठित होने व फ़ेडरेशन को इकाई के रूप में सम्बद्ध होने में सहायता देना।

(घ) ट्रेड यूनियन आन्दोलन में एकता स्थापित करना।

(३) श्रमिकों के लिए निम्न बातों की उपलब्धि तथा संरक्षण करना :

(क) काम तथा जीवन निर्वाह के अधिकार-रोजगार की सुरक्षा का तथा सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, ट्रेड यूनियन के कार्य करने के अधिकार तथा शिकायतें दूर करने के लिए ट्रेड यूनियन के सभी वैधानिक उपायों के निःशेष हो जाने पर अन्तिम शस्त्र के रूप में हड़ताल करने का अधिकार।

(ख) काम और जीवन तथा सामाजिक और काम की हैसियत में सुधार।

(ग) न्यूनतम राष्ट्रीय आय से संगति रखते हुये जीवन निर्वाह योग्य वेतन तथा अपने अपने उद्योग के सांभोदार के रूप में उद्योग के लाभ में से समुचित अंश की प्राप्ति ।

(घ) अन्य समुचित सुविधायें ।

(ङ) श्रमिकों के हित में वर्तमान श्रम कानूनों को तेजी से लागू करवाना तथा उनमें उचित संशोधन करवाना ।

(च) समय समय पर मजदूर प्रतिनिधियों के परामर्श से नवीन श्रम कानूनों का निर्माण ।

- (४) श्रमिकों के मन में सेवा, सहयोग तथा कर्तव्यपालन की भावना उत्पन्न करना तथा उनमें सामान्यतः समूचे राष्ट्र के प्रति व विशेषतः उद्योग के प्रति उत्तरदायित्व की वृत्ति का निर्माण करना ।
- (५) श्रमिक प्रशिक्षण कक्षाएँ, स्वाध्याय मंडल, अतिथि भाषण, मंगो छिठियाँ परिभ्रमण आदि आयोजित करके और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल, श्रम अन्वेषण केन्द्र तथा विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं, संगठनों के सहयोग से, जिनके लक्ष्य और उद्देश्य 'संघ' के जैसे ही हों, श्रमिकों को शिक्षित करना और पुस्तकालय आदि चलाना ।
- (६) मुख्यतः श्रमिकों और उनके हितों से सम्बन्ध रखने वाले पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ, चित्र, पुस्तकें और अन्य प्रकार का साहित्य स्वयं प्रकाशित करना या दूसरों से कराना तथा मजदूर साहित्य की बिक्री, खरीद और प्रचार करना ।
- (७) श्रम अन्वेषण केन्द्र व इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों को संगठित करना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना ।
- (८) सामान्यतः श्रमिकों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और सामान्य स्थितियों के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना ।
- (९) सामान्य रूप से ग्राम लोगों तथा विशेष रूप से श्रमिकों व उनके परिवारों के सम्पूर्ण कल्याण के लिए सहकारी समितियों, कल्याण संस्थाओं, क्लबों इत्यादि की स्थापना करना या उनको सहायता देना ।
- (१०) कर्मचारियों के और उन स्वनियोजित (Self-employed) व्यक्तियों के

संगठनों समितियों या यूनियनों की गतिविधियों का निरीक्षण, मार्गदर्शन समन्वय व संगठन करना जो ट्रेड यूनियन ऐक्ट १९२६ की परिधि में नहीं आते हैं।

(११) ऐसे सब प्रकार के कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक या पूरक हों।

५ साधन :

उपर्युक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए 'संघ' राष्ट्रवाद की भावना से सुसंगत समस्त विधिसम्मत साधनों का उपयोग करेगा।

६ सम्बद्धता :

(क) निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने वाली ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ या ट्रेड यूनियनों का संघ भा० म० सं० से सम्बद्धता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

(१) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक यूनियन को भा० म० सं० के लक्ष्यों, उद्देश्यों, साधनों और विधान को स्वीकार करना होगा।

(२) उसे श्रमिक संघवाद (Trade Unionism) को राष्ट्रीय सेवा के एक प्रभावी साधन के रूप में स्वीकार करना होगा।

(३) यूनियन या संघों से सम्बद्ध यूनियनों की सदस्यता शुल्क की दरें एक रुपये प्रतिमास से कम न होंगी। तथापि उपबन्ध यह है कि संघ की कार्य-समिति, सम्बद्धता के लिए कम चन्दा दर रखने वाले संघों-यूनियनों के सम्बद्धता संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार कर सकती है।

(४) यूनियन-संघ को भा० म० सं० द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दस रुपये प्रार्थना-पत्र शुल्क के साथ अपने प्रदेश की भारतीय मजदूर संघ की कार्य-समिति अथवा जहाँ यह न हो वहाँ सम्बन्धित क्षेत्रीय मंत्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र देना होगा। उपबन्ध है कि अखिल भारतीय औद्योगिक संघ अपना या अपने अखिल भारतीय घटक का प्रार्थना पत्र सीधे भा० म० सं० को प्रेषित कर सकता है।

(५) यह, अपने विधान की एक प्रति, पिछले वर्ष के विधिवत् परीक्षित लेखे की एक प्रति, अपने पदाधिकारियों की एक सूची और अन्य वह सब जानकारी

प्रदान करेगा/करेगी जो कार्यसमिति निर्धारित करेगी ।

(ख) यूनियन/संघ के प्रार्थना पत्र को संगत पत्रों के साथ प्रदेश भारतीय मजदूर संघ या सम्बन्धित क्षेत्रीय संगठन मंत्री या अखिल भारतीय औद्योगिक संघ, जैसा भी संगत हो, अपनी सिफारिशों के साथ आवश्यक कागज पत्रों सहित भेजेगा। प्रार्थना पत्र की शर्तों की पूर्ति के बारे में संतुष्ट होने के बाद संघ का केन्द्रीय कार्यालय/ इस शर्त पर यूनियन/संघ को अस्थाई रूप से सम्बद्ध कर लेगा कि कार्यसमिति अपनी अगली बैठक में इसे स्वीकार करले। तत्पश्चात केन्द्रीय कार्यालय सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी करेगा और आगामी वर्ष का सम्बद्धता शुल्क जैसा कि खण्ड ७ (क) के अन्तर्गत निर्धारित है, प्राप्त होने के उपरान्त, सम्बन्धित यूनियन/संघ का नाम अपने रजिस्टर में लिख लेगा।

(ग) संघ की कार्यसमिति को, सम्बद्धता के किसी भी प्रार्थना पत्र को लिखित कारण देकर ही अस्वीकार करने का अधिकार होगा। प्रभावित यूनियन/ संघ को इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा।

(घ) संघ की कार्यसमिति को, किसी यूनियन या संघ को सम्बद्धता शुल्क न दे सकने की स्थिति में, निश्चित समय के भीतर केन्द्रांश अथवा विशेष संग्रह न दे पाने की दशा में अथवा कोई अनियमितता होने, विधान का अतिक्रमण किये जाने अथवा समिति के मत में भा० म० सं० के हितों के लिए हानिकर होने की दशा में यथोचित प्रभव सूचना देकर असम्बद्ध करने का अधिकार होगा।

इसके विरुद्ध असम्बद्धित की गई यूनियन/संघ को भा० म० सं० की प्रतिनिधि सभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(ङ) केवल सम्बद्धता शुल्क, अनुदान या विशेष लेवी न दे सकने के कारण सम्बद्ध यूनियन/संघ को पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि वह अपनी उस समस्त बकाया राशि का भुगतान करदे, जो यूनियन/संघ को सम्बद्धता समाप्त न होने की दशा में देनी होती। कार्यसमिति को अधिकार होगा कि वह पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व किसी भी यूनियन/संघ को पिछले बकाये के पूर्ण या आंशिक भुगतान से मुक्त कर दे।

- (च) जो यूनियन/संघ सम्बद्धता खो देगी उसके वे समस्त अधिकार खत्म हो जायेंगे जो सम्बद्ध यूनियनों के होते हैं ।
- (छ) किसी भी यूनियन/संघ को असम्बद्ध करने से पहले कार्यसमिति उनके विरुद्ध आरोपों का नोटिस देगी और उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगी ।
- (ज) भा० म० सं० को तीन मास का नोटिस दिये बिना किसी भी यूनियन/संघ को अपनी सम्बद्धता वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा ।

७—सम्बद्धता शुल्क व अन्य देय राशियाँ :

- (क) प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन को अपने वार्षिक सदस्यता शुल्क के ५ प्रतिशत (पांच प्रतिशत) के बराबर धनराशि और कम से कम २० रुपये (बीस रुपये) बतौर सम्बद्धता शुल्क के भा० म० सं० को देना अनिवार्य होगा और प्रत्येक सम्बद्ध संघ को अपनी सम्बद्ध यूनियनों से प्राप्त आमदनी का ५ प्रतिशत और कम से कम २० रुपये प्रत्येक वर्ष की ३० जून के पूर्व 'संघ' को देना होगा ।
- (ख) हर सम्बद्ध यूनियन/संघ को, जैसा भी हो, २/-रुपये प्रति प्रतिनिधि हिसाब से प्रति-निधि शुल्क निर्धारित समय के भीतर 'संघ' को देना होगा ।
- (ग) प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन/संघ निर्धारित समय के भीतर, वे अन्य या विशेष लेवी चंदे भी देगा, जो कि कार्यसमिति द्वारा समय समय पर निश्चित किये जायेंगे ।
- (घ) खण्ड ७ (क), (ख) या (ग) के प्रावधानों का परिपालन न करने पर दोषी यूनियन/संघ अपने मताधिकार को तब तक के लिए खो देगी जब तक कि वह अपने पिछले बकाये का भुगतान नहीं कर देता । कार्यसमिति को अधिकार होगा कि यह विशेष मामलों में लिखित कारण बताकर किसी यूनियन/संघ की इस प्रकार की अनर्हता को समाप्त कर दे ।
- (ङ) जब कभी संघ की कोई घटक इकाई सामान्य प्रकार से धन एकत्रित करेगी तो वह संघ के केन्द्रीय कार्यालय को कुल उगाई गई राशि का १० प्रतिशत (दस प्रतिशत) अदा करेगी ।

८—'संघ' के घटक :

संघ के घटक होंगे—

(क) सम्बद्ध यूनियनें ।

(ख) भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश इकाइयां ।

(ग) औद्योगिक संघ ।

(घ) प्रतिनिधि सभा ।

(ङ) कार्यसमिति ।

(च) स्थायी समिति ।

९—यूनियन और औद्योगिक संघ :

(१) यूनियनों और संघों के लेखों के निरीक्षण एवं जांच पड़ताल का कार्यसमिति को पूरा अधिकार होगा ।

(२) संघ सीधे कार्यसमिति के प्रति उत्तरदायी होंगे ।

(३) समय-समय पर कार्यसमिति द्वारा बनाये गये वा जारी किये गये नियम, विनियम तथा निर्देश यूनियनों संघों पर बाध्यकारी होंगे ।

(४) कार्यसमिति, यूनियनों तथा संघों के कार्य तथा आचरण को निर्देशित तथा विनियमित करेगी ।

१०—भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक इकाइयां और राष्ट्रीय औद्योगिक महासंघ :

(क) कार्यसमिति, उपयुक्त मुख्यालयों सहित भारतीय मजदूर संघ की प्रादेशिक इकाइयों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक संघों का गठन तथा निर्माण करेगी ।

(ख) प्रत्येक प्रदेश भा० म० सं० और राष्ट्रीय औद्योगिक संघ की इकाई का अपना अपना विधान होगा और वह संघ, (भा० म० सं०) विधान के अनुकूल होगा, न कि प्रतिकूल ।

- (ग) प्रतिनिधि सभा की सामान्य देखभाल तथा नियन्त्रण के अधीन प्रदेश भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय औद्योगिक संघों को अपने सम्बद्ध घटकों के साथ काम काज करने और और निपटने का पूरा-पूरा अधिकार होगा ।
- (घ) प्रदेश भा० म० सं० का और राष्ट्रीय औद्योगिक संघ अपने परीक्षित लेखा सहित अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यसमिति को भेजेंगे ।
- (ङ) प्रदेश भा० म० सं० और राष्ट्रीय औद्योगिक संघ, 'संघ' के लिए सम्बद्धता शुल्क, लेवी चंदा इत्यादि इकट्ठा करेंगे और उसे निर्धारित समय के भीतर केन्द्रीय कार्यालय को भेज देंगे ।
- (च) प्रदेश भा० म० सं० और राष्ट्रीय औद्योगिक संघ के विधान के या कार्यसमिति के सामान्य निर्देशों के अनुसार कार्य न करने पर अथवा यदि कार्यसमिति अनुभव करती है कि भा० म० सं० की प्रदेश इकाई उचित रूप से कार्य ~~भंग~~ नहीं कर रही है, तो कार्यसमिति सम्बद्ध प्रदेश इकाई को निलम्बित अथवा कर सकेगी और भा० म० सं० के कार्य संचालन हेतु एक तर्दथ समिति (एडहाक कमेटी) का गठन करेगी । जिसका अनुमोदन प्रतिनिधि सभा के बहुमत द्वारा आवश्यक है ।

११—प्रतिनिधि सभा :

प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च नीति-निर्मात्री, निर्णायक, व अनुशासनिक निकाय होगी । संघ की प्रतिनिधि सभा की सामान्य बैठक आमतौर पर दो वर्षों के पश्चात हुआ करेगी । विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रतिनिधि सभा का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है । प्रतिनिधि सभा के लिए सम्बद्ध यूनियनों, निम्न आधार पर अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करेंगी ।

- (क) प्रत्येक यूनियन के ५० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि और इसके बाद ५०० सदस्यों तक की संख्या पर प्रत्येक १०० पर व बचे हुये बड़े भाग (५० या अधिक) पर एक-एक प्रतिनिधि और चुना जाएगा । यदि सदस्य संख्या २००० तक होती है तो प्रत्येक २५० पर व बचे हुये बड़े भाग पर एक-एक और प्रतिनिधि चुने जायेंगे । सदस्य संख्या ५००० तक

हो तो प्रत्येक ५०० पर व बचे हुये बड़े भाग पर एक-एक और प्रतिनिधि चुने जायेंगे। यदि सदस्य संख्या १५००० तक हो तो प्रत्येक एक हजार पर व बचे हुए बड़े भाग पर एक-एक और प्रतिनिधि चुने जायेंगे तथा १५००० से भी ऊपर हो तो प्रत्येक २५०० पर व बचे हुये बड़े भाग पर, एक-एक प्रतिनिधि और चुने जायेंगे।

(ख) कम से कम एक तिहाई राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल सम्बद्ध यूनियनों में से कम से कम एक तिहाई यूनियनों द्वारा मांग किये जाने पर मांग पत्र में उल्लेखित विशिष्ट उद्देश्य हेतु मांग-पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर महामन्त्री संघ की प्रतिनिधि सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलायेगा। तथापि कार्यसमिति, प्रतिनिधि सभा के सम्मुख अन्य विषयों को जिसे वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत कर सकती है।

(ग) प्रतिनिधि सभा की द्विवार्षिक साधारण बैठक महामन्त्री की रिपोर्ट तथा पिछले दो वर्षों के लेखा परीक्षित लेखा के विवरण को प्राप्त और पारित करेगी और आगामी दो वर्षों के लिए अनुमानित बजट को पास करेगी तथा कार्यसमिति के निम्न पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी।

(घ) प्रतिनिधि सभा अपनी द्विवार्षिक साधारण सभा में कार्यसमिति के निम्न पदाधिकारियों का चुनाव करेगी :

- (१) अध्यक्ष—एक
- (२) चार से अनधिक उपाध्यक्ष
- (३) महामन्त्री—एक
- (४) चार से अनधिक मन्त्री
- (५) वित्त मन्त्री—एक
- (६) उप-वित्त मन्त्री—एक

१२—कार्य समिति :

(क) प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी तथा निम्न सदस्य, कार्यसमिति में होंगे :—

- (१) महामन्त्री द्वारा नामजद अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय संगठन मंत्री। एवं कार्यालय मन्त्री।

- (२) प्रदेश भारतीय मजदूर संघ इकाइयों के महामन्त्री ।
- (३) भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्ध राष्ट्रीय औद्योगिक संघों के महामन्त्री ।
- (४) कार्यसमिति द्वारा सहयोजित अधिक से अधिक ग्यारह अन्य सदस्य ।

(ख) कार्य समिति

(१) प्रतिनिधि सभा के प्रस्तावों एवं निर्देशों के अनुसार भा० म० सं० के सामान्य प्रशासन तथा कार्य को चलाने के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठायेगी ।

(२) अन्य समितियों के साथ साथ निम्न समितियों की भी नियुक्ति करेगी :

- (क) वित्त समिति
- (ख) प्रत्ययपत्र समिति
- (ग) वैदेशिक सम्बन्ध समिति ।
- (घ) शिक्षा समिति ।
- (ङ) अनुसंधान समिति ।
- (च) औद्योगिक सम्बन्ध समिति ।

ये समितियां अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों के कार्यों को तथा ऐसे अन्य कार्यों को, जो कार्यसमिति द्वारा इन्हें विशिष्ट रूप से प्रदत्त किये जाये, पूरा करेगी । ये समितियां कार्य समिति को अपनी कार्य सम्बन्धी रिपोर्ट दिया करेगी और समय-समय पर कार्य-समिति को उसके काम चलाने में सहयोग व सहायता प्रदान करेगी ।

(३) अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु तिथियों की घोषणा व प्रक्रिया का निर्धारण करेगी ।

(४) यूनियनों की सम्बद्धता के और प्रदेश व अन्य क्षेत्रीय निकायों, औद्योगिक संघों तथा स्थायी समिति के संघटन व कार्यों के लिए नियम निर्धारित करेगी ।

(५) प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन की तिथियां, स्थान विषयसूची निश्चित व घोषित करेगी ।

(६) संघ की समस्त संघटन इकाइयों के कार्य तथा व्यवहार को निर्देशित तथा विनियमित करेगी ।

(७) उचित निर्णय तथा कार्य करके किसी भी आकस्मिक बात का सामना करेगी ।

(८) सामान्यतः ऐसे सभी कार्य करेगी जिनका उद्देश्य सामान्य रूप में मजदूरों के तथा विशिष्ट रूप में 'संघ' के हितों की रक्षा एवं संवर्धन करना है ।

(९) कार्यसमिति के किसी सदस्य के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने की दशा में, कार्यसमिति किसी अन्य सदस्य को सहयोजित करेगी ।

(१०) कार्यसमिति की बैठक कम से कम ६ मास में एक बार अवश्य होगी । कार्यसमिति का गणपूरक (कोरम) कार्यसमिति की सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा ।

१३—स्थायीसमिति :

स्थायी समिति में निम्न सदस्य होंगे :

कार्यसमिति के पदाधिकारी और क्षेत्रीय संगठन मन्त्री । यह समिति कार्यसमिति के निर्णयों को लागू करने व उचित क्रियायन्वयन हेतु समय समय पर आवश्यकतानुसार मिला करेगी ।

१४—पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा व कार्यसमिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और बैठक में सुव्यवस्था रखेगा तथा बैठक की समस्त कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेगा और केवल निर्णायक मत ही देगा । उसे आवश्यकता पड़ने पर संघ को कार्यसमिति की विशेष बैठकें बुलाने का अधिकार होगा । संघ के कार्य की देखभाल और उसे आगे बढ़ाने के लिए वह देश भर का दौरा करेगा । उसे कार्यसमिति के किसी भी कार्यवाई या निर्णय को इस आधार पर अधिक से अधिक दो मास तक स्थगित करने का अधिकार होगा कि प्रभावित सदस्य या संघटक इकाई को ऐसे निर्णय पर अमल से पहले सुनवाई

का मौका देने में सहायता मिले। वह संघ की विभिन्न संघटक इकाइयों में सामंजस्य एवं सहयोग स्थापित करने में सहायता करेगा।

उपाध्यक्ष सामान्यतः अध्यक्ष की सहायता करेंगे और उसके अनुपस्थिति में उनमें से एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

महामन्त्री

महामन्त्री 'संघ' के सारे कार्य करेगा। वह समस्त पत्र व्यवहार करेगा, सभा की बैठकें बुलाएगा और संघ के कार्यालयों की देखभाल करेगा। वह सरकार से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्रतिवर्ष के वार्षिक लेखा के लिए उत्तरदाई होगा। वह प्रतिनिधि सभा को साधारण बैठक के सम्मुख 'संघ' के कार्य एवं गतिविधियों को एक द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वह सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाली यूनियनों को सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी करेगा। वह अखिल भारतीय मन्त्रियों और संगठन के निमित्त विविध क्षेत्रों या संभागों के लिए संगठन मन्त्रियों तथा कार्यालय मन्त्रियों को नामजद करेगा। वह कार्यसमिति के अनुमोदन व पुष्टि की शर्तों के साथ लिपिकीय तथा कार्यालयीन कामों के लिए जितना वह आवश्यक समझे उतनी संख्या में सहायकों की नियुक्ति करेगा और वे सभी सीधे उसके नियंत्रण में होंगे। वह संघ की समस्त संघटक इकाइयों में परस्पर सहयोग व सामन्जस्य लाने हेतु सभी प्रकार के कदम उठायेगा और उनको वित्तीय स्थिति व गतिविधियों का नियंत्रण पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करेगा। मन्त्रीगण महामन्त्री को उसके कार्यों में सहायता करेंगे और महामन्त्री द्वारा दिये गये सभी कार्य करेंगे।

वित्त मन्त्री :

वित्त मन्त्री 'संघ' को दिये जाने वाली उन सभी धन राशियों के लिए उत्तरदायी होगा, जो उसकी संघटक इकाइयों द्वारा समय समय पर उसे दी जाएं या संघ द्वारा समय समय पर दान व विशिष्ट लेवी इत्यादि द्वारा वसूल की जाएं। वह कार्य समिति द्वारा स्वीकृत समस्त खर्चों का भुगतान करेगा। संघ के बैंक खाते या खातों को चलाने के लिए उत्तरदायी होगा और समस्त प्रकार की आय तथा भुगतान का सही लेखा रखेगा। वह प्रतिवर्ष लेखों की लेखा परीक्षा कराने तथा उन्हें कार्यसमिति में पुष्टि हेतु रखने का उत्तरदायी होगा। वह कार्यसमिति द्वारा बाद में स्वीकृति की शर्तों के साथ अधिक से अधिक ५०० रुपये तक व्यय कर सकेगा। वह 'संघ' को प्रतिनिधि

समा की द्विवार्षिक साधारण सभा के सम्मुख पिछले दो वर्षों का लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा और आगामी दो वर्षों का अनुमानित बजट भी प्रस्तुत करेगा। वह वित्तीय समिति का सभापति भी होगा।

उपवित्त मंत्री, संघ के लेखा रखने में वित्त मंत्री की सहायता करेगा और वित्त मंत्री द्वारा बताये गये अन्य सभी कार्य करेगा।

१५—निधियां :

(क) संघ की निधियों में आवेदन तथा सम्बद्धता शुल्क लेवी यूनियनों का चन्दा प्रतिनिधि शुल्क 'संघ' के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को अभिवृद्धि हेतु श्रमिक शिक्षा योजना की अभिवृद्धि हेतु प्राप्त धनराशियों सहित प्राप्त अनुदान, किसी भी स्रोतों से प्राप्त दान, लगाये गये धनों पर प्राप्त व्याज, बान्ड इत्यादि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई भी धन शामिल होगा। सभी प्राप्त निधियां कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित बैंक या बैंकों में जमा की जायेंगी और इनके खाते समय समय पर कार्यसमिति द्वारा अधिकृत उसके पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होंगे।

(ख) वित्त मंत्री समस्त धन संग्रह के प्रति उत्तरदायी होगा, जो समय समय पर संगठन को प्राप्त होते हैं, प्रतिनिधि सभा के नियंत्रण की शर्त के साथ वित्त मंत्री 'संघ' की निधियों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध कार्यसमिति के निर्देशों या बजट के प्रावधानों के अनुसार करेगा।

(ग) 'संघ' अपने कार्य संचालन हेतु कोई भी सम्पत्ति अपने नाम से खरीद सकता है और संघ की ओर से किसी या किन्हीं भी कार्यसमिति सदस्य या सदस्यों को इसे बेचने, फनिश करने तथा इसका प्रबन्ध करने अथवा इस प्रकार की सम्पत्तियों के बारे में कुछ भी करने का अधिकार दे सकता है।

१६—विवाद :

संघ को संघटक इकाइयों के मध्य समस्त विवाद कार्यसमिति के सामने लाए और उसी के द्वारा तय किए जायेंगे। सम्बन्धित पक्षों को कार्यसमिति के निर्णयों के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय

अन्तिम होगा। यदि कोई भी पक्ष इस प्रकार के विवाद को ऊपर वर्णित प्रावधानों को पूरी तरह से इस्तेमाल किये बिना किसी बाहरी पक्ष, अधिकरण, न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय में ले जायेगा, तो वह अनुशासनात्मक कारवाई का भागी होगा और इस बारे में जो निर्णय होगा वह अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

१७—निलम्बन तथा निष्कासन :

कार्यसमिति को यह अधिकार होगा कि वह इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्धारित विभिन्न संघटक इकाइयों के मामले में विनिश्चित मतदान के समय कम से कम दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति में, किसी भी व्यक्ति को पद से अथवा किसी संघटक इकाई की सदस्यता से निलम्बित या निष्कासित कर दे और उसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। इस प्रकार के व्यक्ति को प्रतिनिधि सभा के सम्मुख अपील करने का अधिकार होगा।

१८—अनुशासनात्मक कार्यवाही :

यदि कोई संघटक इकाई या उसका कोई सदस्य, विधान भंग या जान बूझ कर या भूल से किये गए ऐसे कार्य का दोषी है, जो संघ के हितों के प्रतिकूल है, कार्यसमिति सम्बन्धित इकाई या सदस्य को, सुनवाई का मौका देने के उपरान्त ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी, जो वह उपयुक्त समझेगी। परन्तु अध्यक्ष इस कार्यवाही के क्रियान्वयन को रोक सकता है, यदि प्रभावित सदस्य या इकाई, इस निर्णय की प्राप्ति के एक माह के भीतर, प्रतिनिधि सभा के सम्मुख अपील करता है। प्रतिनिधि सभा का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

१९—स्थगित बैठकें :

किसी संघटक इकाई की स्थगित बैठक हेतु किसी गणपूरक (कोरम) की आवश्यकता न होगी।

२०—संशोधन :

प्रतिनिधि सभा को अपने द्विवार्षिक या विशिष्ट अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई मतों के बहुमत से, विधान में किसी भी धारा को जोड़ने अथवा हटाने तथा मतदान में बदल करने का अधिकार प्राप्त होगा बशर्ते कि इस प्रकार के प्रस्तावित बदल या संशोधन से सम्बन्धित विशेष नोटिस, अधिवेशन से कम से कम २१ दिन पूर्व दिया जाये।

मूल्य : एक रुपया

भारतीय मजदूर संघ, २४ बिट्टल भाई पटेल भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित
मुद्रक : भारत प्रकाशन (प्रिंटर्स) दिल्ली ११००३२